

संख्या-1049/15-7-07-16(28)/2007

प्रिय,

एकजना प्रमाण,
संयुक्त समिति,
छत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

विषय (7) अनुभाग

संलग्नक: दिनांक: 29 जून, 2007

विषय :- नवयुग रेडियन्स स्कूल सेक्टर-जी जामकीपुरम संलग्नक को सीओएसई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निवेदन हुआ है कि ऊक्त संलग्नक विद्यालय को सीओएसई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर मंजीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता संश्लेषण बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वैलिडेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्शणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अक्षासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकृतों में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पुरानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पता चला है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता बहती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(एफ0एन0 प्रधान)
संयुक्त सचिव।

प्रमुख एवं विनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भुवनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(भा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय ड0य0, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, नवयुग रेडियन्स स्कूल सेक्टर-जी जवाहरपुरम लखनऊ।
- 6- गार्ड फाइल।

MANAGER

Navayuga Radiance School
SECT. G, JANKIPURAM
LUCKNOW

M आशा से,

(एफ0एन0 प्रधान)
संयुक्त सचिव।

Principal
Navayuga Radiance School
Sec-G, Jankipuram, Lucknow